जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(जन–सम्पर्क अनुभाग)
(प्रेस विज्ञप्ति)

अब घर बैठे ही मिलेगा घरेलू बिजली कनेक्शन
जयपुर डिस्कॉम की डिस्काम आपके द्वार योजना शुरु

जयपुर, 24 जनवरी। जयपुर डिस्कॉम क्षेत्र के उपभोक्ताओं को अब नए घरेलू कनेक्शन के लिए बिजली विभाग के कार्यालय में जाकर आवेदन करने की आवश्यकता नही रहेगी। कनेक्शन के इच्छुक उपभोक्ताओं को मांग करने पर घर बैठे ही कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए जयपुर डिस्कॉम द्वारा ''**डिस्कॉम आपके द्वार योजना (Door Step)''** शुरु की है।

जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक श्री ऐ.के.गुप्ता ने बताया कि जयपुर डिस्कॉम क्षेत्र के जयपुर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, अलवर, टोंक, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ व सवाईमाधोपुर जिलों में (भरतपुर व कोटा शहर को छोड़कर) घरेलू विद्युत कनेक्शन चाहने वाले आवेदकों की सुविधा हेतु डिस्कॉम आपके द्वार योजना शुरु की है। योजना का लाभ उन्ही आवेदकों को मिलेगा जो बिजली मित्र मोबाईल एप के माध्यम से पंजीकरण कराएगें और इस सुविधा का उपयोग करने वाले आवेदकों को कनेक्शन में अलग से प्राथमिकता दी जाएगी।

डिस्कॉम आपके द्वार योजना में इस तरह प्राप्त किया जा सकता है घरेलू बिजली कनेक्शन

योजना के अन्तर्गत विद्युत कनेक्शन के आवेदक को गूगल प्ले स्टोर अथवा एप स्टोर से बिजली मित्र ऐप डाउनलोड करने के बाद बिजली मित्र एप पर ''डोर स्टेप'' का विकल्प मिलेगा। इस विकल्प पर क्लिक करने पर पंजीकरण फार्म में आवेदक को संक्षिप्त जानकारी उपलब्ध करवाने पर उसके मोबाईल पर एक पासवर्ड (ओटीपी) प्राप्त होगा। इस पासवर्ड (ओटीपी) को दर्ज करने पर उपभोक्ता को रजिस्ट्रेशन नम्बर की सूचना का मैसेज उसके मोबाईल नम्बर पर प्राप्त हो जाएगा।

कनेक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन होने के उपरान्त निगम द्वारा अधिकृत उपभोक्ता सेवा केन्द्र के कर्मचारी द्वारा सम्बन्धित उपभोक्ता से मोबाईल पर सम्पर्क कर दस्तावेज लेने की तारीख व समय निर्धारित करके आवेदक के निवास स्थान पर जाकर आवेदन फार्म भरने व आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर बिजली मित्र ऐप पर इन्द्राज करने की कार्यवाही की जाएगी। इसके बाद उपभोक्ता को उसके मोबाईल नम्बर पर ही मांग पत्र जारी करने व मांग पत्र की राशि जमा कराने की सूचना एसएमएस द्वारा दी जाएगी।

आवेदक को मांग पत्र की राशि बिजली मित्र ऐप के द्वारा जमा कराने व जमा की रसीद प्राप्त करने की सुविधा बिजली मित्र ऐप पर उपलब्ध करवाई गई है। मांग पत्र की राशि जमा कराने के बाद उपभोक्ता को एसएमएस द्वारा कनेक्शन जारी करने की तिथि के बारे में सूचित किया जाएगा और कनेक्शन जारी होने की सूचना भी उपभोक्ता को उसके मोबाईल पर एसएमएस द्वारा दी जाएगी।

————————

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 865/2019